कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/ मा/संस्था /सी–3/भौगक्/भौतिक/स्थानान्तरण–पदस्थापन /2022 दिनांक 12.01.2023 द्वारा श्री मनीष कुमार सैनी व्याख्याता–भौतिक विज्ञान का स्थानान्तरण GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GUDLIYA (218443)-JAIPUR से GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KISHORI (216421)-ALWAR किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री मनीष कुमार सैनी व्याख्याता–भौतिक विज्ञान द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस0बी0सि0या0 संख्या 1431/2023 मनीष कुमार सैनी बनाम सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2023 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार पति–पत्नी के राजकीय सेवा में होने के कारण यथावत् रिक्त पद पर पदस्थापित करने की मांग की है।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। वर्तमान में राज्य सरकार की ऐसी कोई नीति प्रभावी नहीं हैं जिसमें पति–पत्नी को निकट स्थान/एक ही जिले में पदस्थापित रखा जावे। राज्य सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 14.07.2022 के अनुसार पति–पत्नी के राजकीय सेवा में होने व माता–पिता /पति–पत्नी/पुत्र–पुत्री/स्वयं की रूग्णता के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पी बॉस के प्रकरण में समन्जन (Accommodation) के बारे में निम्नानुसार अवधारित किया है कि " If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भगवान दास मित्तल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल. सी 2007(2) 276 में निम्न प्रकार अवधारित किया है :– " So far as plea that the transfer has been made to a far away place , it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the state where ever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violence of service rule.

किसी भी लोकसेवक के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में निर्णय का यह क्षेत्राधिकार नियोक्ता को है कि वह अपने अधीन लोकसेवक को कब, कहाँ और किस समय स्थानान्तरित करता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त के प्रकरण में अपने निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि लोकसेवक के स्थानान्तरण/ पदस्थापन की शक्तियाँ पूर्णतया नियोजक के अधीन है। सरकार

अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य मे कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र पदस्थापित किए जाने से किसी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी प्रकार से कोई उल्लंघन नही होता है।याचिकार्थी राज्य सेवा की अधिकारी है और सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता हैं। अन्यत्र पदस्थापित किए जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता है।

चूंकि याचिकार्थी श्री मनीष कुमार सैनी व्या0 भौतिक विज्ञान ने स्थानान्तरित स्थान GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KISHORI (216421)-ALWAR में व्याख्याता–भौतिक विज्ञान के रिक्त पद पर कार्यग्रहण कर लिया है अतः उक्तानुसार याचिकार्थी का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज निस्तारित किया जाता है।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/संस्था/सी–3/भौगकृ/एस0बी0सि0या0सं0 1431/मनीष कुमार सैनी/2023 दिनांक–17/03/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार,जयपुर।
02.विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
03.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04.संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
05.संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
06.संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
07.संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
08.जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
09.सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10.सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11.संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक को पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षाराजस्थान
बीकानेर